State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh,
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक / SCERT/ODL कार्यक्रम / 2017–18 / 5884 रायपुर दिनांक 20.12.2017

प्रति,

समस्त अध्ययन केन्द्र
दूरस्थ शिक्षा – SCERTCG-NIOS
डी.एल.एड. पाठ्यक्रम

विषय– SCERTCG-NIOS के दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश एवं सत्यापन प्रक्रिया।

---000---

प्रारंभिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों हेतु दूरस्थ माध्यम से डी.एल.एड. में प्रवेश एवं सत्यापन हेतु प्रक्रिया :–

1. दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र में अधिकतम 100 अप्रशिक्षित शिक्षकों का ही प्रवेश होगा।
2. अप्रशिक्षित शिक्षक अपनी सुविधानुसार अपने विकासखण्ड (जहां पर विद्यालय स्थित है) के अध्यापन केन्द्र में ही प्रवेश लेंगे।
3. किसी भी स्थिति में अन्य विकासखण्ड के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रवेश नहीं देना है।
4. अप्रशिक्षित शिक्षक का रिफरेंस क्रमांक एवं इनरोलमेंट क्रमांक होना अनिवार्य है।
5. शिक्षक सत्यापन प्रपत्र (एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में उपलब्ध) पूर्ण रूप से भरे हुए होना चाहिए एवं संबंधित प्रधानपाठक / प्राचार्य / नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
6. कक्षा बारहवीं अथवा ग्यारहवीं के मार्कशीट की छायाप्रति जमा करना है।
7. अप्रशिक्षित शिक्षक द्वारा भरे गये फार्म में कोई सुधार किया जाना है तो संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति।
8. व्याख्याता पंचायत को NIOS के माध्यम से डी.एल.एड. करने की पात्रता नहीं है।
9. शासकीय विद्यालयों में शाला विकास समिति के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों का NIOS के माध्यम से डी.एल.एड. करने की पात्रता नहीं है।
10. शासकीय विद्यालयों में निजी एजेंसी के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को NIOS के माध्यम से डी.एल.एड. करने की पात्रता नहीं है।
11. छात्रों के प्रवेश को रजिस्टर में संधारित करेंगे।
12. प्रवेश एवं सत्यापन के समय किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लेना है।
13. जिलावार / विकासखण्डवार अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट http://scert.cg.gov.in पर उपलब्ध है।
14. जिलावार / विकासखण्डवार अध्ययन केन्द्रों की सूची एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट http://scert.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

15. जो अप्रशिक्षित शिक्षक अपना पंजीयन किन्ही कारणोंवश निरस्त कराना चाहते है एवं फीस की राशि वापस चाहते है, उनके लिये पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

16. अप्रशिक्षित शिक्षक जिनके इनरोलमेंट नम्बर (प्रधानपाठक/प्राचार्य द्वारा सत्यापन) नहीं है वे सभी शिक्षक सत्यापन प्रपत्र के साथ अपने जिले के डाइट में संपर्क करेंगे। डाइट इनकी पृथक सूची बनाकर एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर में जमा करेंगें।

17. प्रवेश एवं सत्यापन दिनांक 23, 24, 25, 26 दिसम्बर 2017 तक होगा।

18. संपर्क कक्षाएँ 26 से 31 दिसम्बर को आयोजित होंगे तथा संपर्क कक्षाओं की समय-सारिणी 25 दिसम्बर 2017 को एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट पर उपलब्ध होगें।

19. दूरस्थ शिक्षा केन्द्र को कोई भी समस्या/तकनीकी दिक्कत हो तो संबंधित डाइट अथवा एस.सी.ई.आर.टी. में संपर्क करें। संपर्क नबंर - 7587499903 (Only Whatsapp), 7999402255, 7587499935, 7587499910 पर Email : deledcg@gmail.com पर संपर्क करें।

नोट : प्रवेश अथवा संपर्क कक्षाओं की तिथि में यदि शालाकोष प्रोजेक्ट के तहत टेबलेट का वितरण होता है तो संपर्क कक्षा उस दिवस को स्थगित कर अपनी सुविधानुसार शासकीय अवकाश में शीघ्रातीशीघ्र संपर्क कक्षा का आयोजन करें व एस.सी.ई.आर.टी. एवं जिले के डाइट/जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करें ।

Sunita

(डॉ. सुनीता जैन)
अतिरिक्त संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.,छ.ग.,रायपुर

पृष्ठा. कमांक/SCERT/ODL कार्यकम/2017-18/5885   रायपुर दिनांक 20.12.2017

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रबंध संचालक, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन, रायपुर को सूचनार्थ।
5. समस्त कलेक्टर .... को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी .... को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्राचार्य डाइट .... को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्राचार्य .... को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sunita

अतिरिक्त संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.,छ.ग.,रायपुर